न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जमुई
सत्र वाद संख्या – 56/2023

बिहार सरकार

बनाम

मो0 दानिश एवं अन्य

आदेश

17.02.2023. 1. आवेदक/अभियुक्त मो0 दानिश पिता–मो0 युसुफ, साकिन–आजाद नगर, जिला–जमुई की ओर से आज दिनांक 17.02.2023 को दाखिल नियमित जमानत आवेदन को आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दे दी गई है। सुनवाई के समय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हैं। आवेदक दिनांक 10.02.2022 से काराधीन है।

2. प्राथमिकी सूचिका अरफाना सुल्तान के फर्दबयान पर दर्ज की गई है और अपने फर्दबयान में सूचिका का कहना है कि सह अभियुक्त नाजिश दिनांक 14.08.2022 को करीब 7:00 बजे संध्या में सूचिका के घर के बगल में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री के पास आते–जाते हुए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ एवं गंदी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर सूचिका का पुत्र मो0 जैद सुल्तान ने उसे ऐसा करने से मना किया तो नाजिश अपने भाई को फोन किया और उसका भाई अपने सहयोगियों के साथ आकर जैद को मारपीट करने लगा। नाजिश जो अपने हाथ में लोहे का फाईटर पहने हुए था और उसका भाई मो0 दानिश, मो0 अरबाज, मो0 फहद, सकलेन, मो0 मेहराज सभी मिलकर मो0 जैद के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जैद को ईलाज के लिए सदर अस्पताल, जमुई लाया गया जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया और ईलाज के दौरान जैद की मृत्यु हो गई।

3. सुनवाई के समय आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन में कही गई बातों को दोहराते हैं और कहते हैं कि सत्र न्यायालय में आवेदक की ओर से यह पहला नियमित जमानत आवेदन है और इसके पूर्व आवेदक की ओर से न तो सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व से दो अन्य वाद लंबित है, परंतु दोनों में ही आवेदक जमानत पर है। यह भी कि आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे जानबूझकर और गलत मंशे के साथ झूठे वाद में घसीटा गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी देरी की गई है। मृतक जैद का इस घटना के बाद दिनांक 16.08.2022 को अन्य लोगों के साथ लड़ाई हुआ था और उनलोगों के द्वारा गला दबाने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है। अंत में कहते हैं कि आवेदक/अभियुक्त विद्यार्थी है और उसने स्वयं से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। आवेदक दिनांक 10.02.2022 से ही काराधीन है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाए।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व से दो अन्य वाद लंबित है और अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय से ही खारिज है।

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है। आरोप है कि आवेदक, उसका भाई एवं अन्य लोगों ने सूचिका के पुत्र की हत्या इस कारण से कर दी कि उसने आवेदक के भाई को लड़कियों को छेड़ने से रोका था। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर है। कांड दैनिकी के पारा 91 में आवेदक

लगातार.....

के विरुद्ध पूर्व से दो अन्य वाद लंबित पाए गए हैं जिसमें से एक वाद भा0द0वि0 की अन्य धाराओं के साथ–साथ 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज है। आवेदक ने अपने जमानत आवेदन में स्वीकार किया है कि उसका आपराधिक इतिहास भी है। आवेदक के विरुद्ध आरोप सही पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है और दौरा सुपुर्दगी के पश्चात इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है। मूल कांड दैनिकी के साथ मृतक जैद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संलग्न है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतक के साथ मारपीट की पुष्टि होती है। सह अभियुक्तों का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय से खारिज है।

उपरोक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक मो0 दानिश की ओर से दिनांक–17.02.2023 को दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित
-sd-
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
जमुई।